न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 90 दायर दिनांक : 22.05.2018

1. मूलाराम
2. कुम्भाराम

} पुत्रगण पतराम अकवाम खाती निवासीयान मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. जमना पत्नी सुरजाराम (फौत)
2. जीयाराम (फौत)
   - 2/1. गीतादेवी पत्नी जीयाराम
   - 2/2. चेतराम
   - 2/3. गायत्रीदेवी
   - 2/4. भंवरीदेवी
   - 2/5. गिरदावरीदेवी
   - 2/6. लिछमादेवी
   - 2/7. विनोददेवी
   - 2/8. भादरराम

   } पुत्र/पुत्रीयान जीयाराम
3. चुनीलाल
4. उदाराम
5. देवाराम

   } पि. सुरजाराम
6. श्रगारीदेवी (फौत)
   - 6/1. रामवंती
   - 6/2. रेवंती
   - 6/3. लालचन्द
   - 6/4. जानी
   - 6/5. मंजु
   - 6/6. लीला

   } पि. श्रगारीदेवी पुत्री सुरजाराम
7. धापीदेवी पुत्री सुरजाराम
8. हरीराम पुत्र पतराम
9. अर्जनराम (फौत)
   - 9/1. बाधुदेवी पत्नी अर्जनराम
   - 9/2. हनुमान
   - 9/3. भोजराज
   - 9/4. गिरधारी
   - 9/5. लेखराम
   - 9/6. शान्तिदेवी
   - 9/7. मीरादेवी
   - 9/8. गुड्डीदेवी
   - 9/9. रामी

   } पि. अर्जनराम
10. विधादेवी पत्नी मोतीराम
11. मनफूल
12. कृष्ण
13. मदन
14. गोमती
15. धन्नी

    } पि. मोतीराम

} अकवाम खाती निवासीयान मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमशः ..... पेज 2 पर

16. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
17. गुड्डी पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री पालाराम सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. श्री मूलचन्द शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 व 17
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 05.02.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 15 व 17 पतराम पुत्र रामू के वारिसान हैं। वादीगण के पिता पतराम पुत्र रामू जाति खाती निवासी मालेर के नाम से रोही मालेर के खसरा नं. 74 में 8.248 है0 बारानी भूमि जदीद खातेदारी थी। पतराम के स्वर्गवास उपरान्त उक्त रकबा वादीगण के पारिवारिक सदस्यों के नाम जरिये इन्तकाल सं. 101 दिनांक 24.05.1977 को दर्ज हो गया था। वादीगण का नाम उक्त इन्तकाल में दर्ज है। वादीगण का नाम खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043 से 2044 में दर्ज है, लेकिन उसके पश्चात् खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2048 में वादीगण का नाम दर्ज तो है, लेकिन उसे काट रखा है व सम्वत् 2048 से 2053 की खसरा गिरदावरी में वादीगण का नाम नहीं है। वादीगण के भाई मोतीराम का देहान्त हो गया जिसका विरासतन इन्तकाल सं. 120 दिनांक 14.12.1978 दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें वादीगण का नाम दर्ज है। वर्तमान में जैरवाद भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 के नाम विरासतन दर्ज है। वादीगण ने जैरवाद भूमि को दस्तावेजी साक्ष्यों से पैतृक सिद्ध होना बताते हुए उसमें वादीगण के 2/6 हिस्सा की घोषणा किये जाने व घोषणा के पश्चात उसका खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अभिभाषक की ओर से जवाब प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब प्रतिवादीगण बन्द किये जाने का निवेदन किये जाने पर दिनांक 14.08.2018 को जवाब प्रतिवादीगण बन्द किये

क्रमशः ..... पेज 3 पर

गये। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 12.09.2018 को जवाब स्टेट बन्द किये जाकर पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये। वादीगण ने स्वयं के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये जिस पर अभिभाषक प्रतिवादीगण की ओर से जिरह नहीं की गयी। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

साक्ष्य प्राप्ति पश्चात् पत्रावली में पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15 व 17 के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता पतराम पुत्र रामू के नाम से रोही मालेर के खसरा नं. 74 में 8.248 है0 बारानी भूमि जदीद खातेदारी थी व उनके स्वर्गवास जरिये इन्तकाल सं. 101 दिनांक 24.05.1977 को वादीगण सहित वारिसान के नाम दर्ज हो गया था। वादीगण का नाम खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043 से 2044 में दर्ज है, लेकिन सम्वत् 2045 से 2048 में वादीगण का नाम दर्ज तो है, लेकिन उसे काट रखा है व सम्वत् 2048 से 2053 की खसरा गिरदावरी में वादीगण का नाम नहीं है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि में स्वयं का 2/6 हिस्सा घोषित किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों का विरोध नहीं किया व वाद वादीगण को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से पठन व मनन करने के पश्चात् पाया कि दस्तावेजी साक्ष्य रोही मालेर के नामान्तरकरण सं. 101/24.05.1977, 120/14.12.1978, खसरा गिरदावरी रोही मालेर खसरा नं. 74 सम्वत् 2043 से 2044, 2045 से 2047, 2048 से 2050 की सत्यापित प्रतियों, मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र की चित्रप्रतियों के अनुसार जैरवाद रोही मालेर के खसरा नं. 74 की 32.12 बीघा यानि 8.248 है0 बारानी भूमि वादीगण के पिता पतराम पुत्र रामू व उनके स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम जदीद खातेदारी अंकित होना सिद्ध है व वादीगण का नाम खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043 से 2044 में दर्ज है, लेकिन पश्चातवर्ती

क्रमशः ..... पेज 4 पर

खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045 से 2047 में वादीगण का नाम दर्ज तो है, लेकिन उस पर कांट–छांट है, व सम्वत् 2048 से 2050 की खसरा गिरदावरी में वादीगण का नाम नहीं है। वादीगण का नाम किस कारण से हटाया गया, इस बाबत किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश का अंकन नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चातवर्ती दस्तावेजों में वादीगण का नाम सहवन से अंकित नहीं हुआ। वादीगण ने जैरवाद भूमि में बतौर वारिस हिस्सानुसार अपने हकों की घोषणा के पश्चात् विभाजन का अनुतोष चाहा है, लेकिन कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने भी अपनी बहस में जैरवाद भूमि में वादीगण का बतौर वारिस हक स्वीकार करते हुए अपनी सहमति प्रदान की है, इसलिए वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि वाके रोही मालेर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के संयुक्त खाता सं. 272/41 में अंकित खसरा नं. 74 की 8.248 है0 बारानी भूमि में वादीगण को 2/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त खाता में अंकित काश्तकारान (पतराम के वारिसान) के नाम बतौर वारिस अंकित हिस्साकसी में संशोधन करते हुए जमना पत्नी सुरजाराम, जीयाराम, चुन्नीलाल, उदाराम, देवाराम पि. सुरजाराम, श्रृगारीदेवी, धापी, गुड्डीदेवी पुत्रीयां सुरजाराम ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, हरीराम, अर्जनराम पि. पतराम ब.हि.ब. 2/6 हिस्सा, विद्यादेवी बेवा मोतीराम, मनफूल, कृष्ण, मदन पि. मोतीराम, गोमती, धन्नी पुत्रीयां मोतीराम ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, मूलाराम, कुम्भाराम पि. पतराम ब.हि.ब. 2/6 हिस्सा, जाति खाती सा. देह जदीद खातेदार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. मूलाराम
2. कुम्भाराम

} पुत्रगण पतराम अकवाम खाती निवासीयान मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. जमना पत्नी सुरजाराम (फौत)
2. जीयाराम (फौत)
   - 2/1. गीतादेवी पत्नी जीयाराम
   - 2/2. चेतराम
   - 2/3. गायत्रीदेवी
   - 2/4. भंवरीदेवी
   - 2/5. गिरदावरीदेवी
   - 2/6. लिछमादेवी
   - 2/7. विनोददेवी
   - 2/8. भादरराम

   } पुत्र/पुत्रीयान जीयाराम
3. चुनीलाल
4. उदाराम
5. देवाराम

   } पि. सुरजाराम
6. श्रगारीदेवी (फौत)
   - 6/1. रामवंती
   - 6/2. रेवंती
   - 6/3. लालचन्द
   - 6/4. जानी
   - 6/5. मंजु
   - 6/6. लीला

   } पि. श्रगारीदेवी पुत्री सुरजाराम
7. धापीदेवी पुत्री सुरजाराम
8. हरीराम पुत्र पतराम
9. अर्जनराम (फौत)
   - 9/1. बाधुदेवी पत्नी अर्जनराम
   - 9/2. हनुमान
   - 9/3. भोजराज
   - 9/4. गिरधारी
   - 9/5. लेखराम
   - 9/6. शान्तिदेवी
   - 9/7. मीरादेवी
   - 9/8. गुड्डीदेवी
   - 9/9. रामी

   } पि. अर्जनराम

अकवाम खाती निवासीयान मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमशः ..... पेज 2 पर

10. विधादेवी पत्नी मोतीराम
11. मनफूल
12. कृष्ण
13. मदन — पि. मोतीराम
14. गोमती
15. धन्नी

अकवाम खाती निवासीयान मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

16. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
17. गुड्डी पुत्री सुरजाराम जाति खाती निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 90 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री पालाराम सुथार व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 15, 17 श्री मूलचन्द शर्मा एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाके रोही मालेर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के संयुक्त खाता सं. 272/41 में अंकित खसरा नं. 74 की 8.248 है0 बारानी भूमि में वादीगण को 2/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त खाता में अंकित काश्तकारान (पतराम के वारिसान) के नाम बतौर वारिस अंकित हिस्साकसी में संशोधन करते हुए जमना पत्नी सुरजाराम, जीयाराम, चुन्नीलाल, उदाराम, देवाराम पि. सुरजाराम, श्रृगारीदेवी, धापी, गुड्डीदेवी पुत्रीयां सुरजाराम ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, हरीराम, अर्जनराम पि. पतराम ब.हि.ब. 2/6 हिस्सा, विद्यादेवी बेवा मोतीराम, मनफूल, कृष्ण, मदन पि. मोतीराम, गोमती, धन्नी पुत्रीयां मोतीराम ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, मूलाराम, कुम्भाराम पि. पतराम ब.हि.ब. 2/6 हिस्सा, जाति खाती सा. देह जदीद खातेदार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **04.02.2020** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: